



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17082020-221157
CG-DL-W-17082020-221157

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अगस्त 2—अगस्त 8, 2020, शनिवार/श्रावण 11—श्रावण 17, 1942
No. 17] NEW DELHI, AUGUST 2 — AUGUST 8, 2020, SATURDAY/SRAVANA 11—SRAVANA 17, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

आ. अ. 64.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री सुरजीत सिंह** अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री सुरजीत सिंह** को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/भा.नि.आ./नोटिस/टैरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा **श्री सुरजीत सिंह** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **श्री सुरजीत सिंह** को दिनांक 30 जून, 2020 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 21 जुलाई, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री सुरजीत सिंह** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सुरजीत सिंह** विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री सुरजीत सिंह, निवासी 146 गुलाबपुर कूकामई, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 31st July, 2020

O. N. 64 .— WHEREAS, the General Election for 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 107-Mainpuri Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, **Sh. Surjeet Singh**, a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/107/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Surjeet Singh**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been duly submitted.

(iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Surjeet Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to **Sh. Surjeet Singh** on 30th June, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 21st July, 2020 that **Sh. Surjeet Singh**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Surjeet Singh** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Surjeet Singh**, resident of 146 Gulabpur Kukaamai, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/107/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

आ. अ. 65.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मानव हित पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री सत्येन्द्र सिंह** अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री सत्येन्द्र सिंह** को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/भा.नि.आ./नोटिस/टैरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री सत्येन्द्र सिंह** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **श्री सत्येन्द्र सिंह** को दिनांक 10 मई, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री सत्येन्द्र सिंह** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री सत्येन्द्र सिंह** को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं० 76/उ.प्र.-वि.स./107/भा.नि.आ./पत्र/टैरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 10 जनवरी, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 30 जून, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 21 जुलाई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री सत्येन्द्र सिंह** द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सत्येन्द्र सिंह** विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री सत्येन्द्र सिंह, निवासी अंजनी, पोस्ट अंजनी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 107-मैनपुरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./107/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st July, 2020

O. N. 65.—WHEREAS, the General Election for 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 107-Mainpuri Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, **Sh. Satyendra Singh**, a contesting candidate of Manav Hit Party from 107-Mainpuri Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/107/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Satyendra Singh**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

(i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.

(ii) Affidavit has not been duly submitted.

(iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Satyendra Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to **Sh. Satyendra Singh** on 10th May, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 22nd November, 2019 that **Sh. Satyendra Singh**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/107/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 10th January, 2020, which was served to him on 30th June, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 21st July, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Satyendra Singh** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Satyendra Singh** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Satyendra Singh**, resident of Anjani, Post- Anjani, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 107-Mainpuri Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/107/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

आ. अ. 66.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय सुभाष सेना से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री पुष्पेन्द्र कुमार** अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री पुष्पेन्द्र कुमार** को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.वि.स./108/भा.नि.आ./नोटिस/टिरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) शपथ पत्र विधिवत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।
- (4) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किए गए हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री पुष्पेन्द्र कुमार** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **श्री पुष्पेन्द्र कुमार** को दिनांक 17 मार्च, 2020 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 13 मई, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री पुष्पेन्द्र कुमार** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री पुष्पेन्द्र कुमार** को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं.76/उ.प्र.-वि.स./108/भा.नि.आ./पत्र/टिरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 25 जून, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 30 जून, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 21 जुलाई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री पुष्पेन्द्र कुमार** द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री पुष्पेन्द्र कुमार** विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री पुष्पेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम मलपुर, पोस्ट सुल्तानगंज भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./108/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st July, 2020

O. N. 66.— WHEREAS, the General Election for 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 108-Bhongaon Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, **Sh. Pushpendra Kumar**, a contesting candidate of Bhartiya Subhash Sena from 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/108/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Pushpendra Kumar**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

- (i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.
- (ii) Affidavit has not been duly submitted.
- (iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.
- (iv) All Expenditure (except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Pushpendra Kumar** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to

lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to **Sh. Pushpendra Kumar** on 17th March, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 13th May, 2020 that **Sh. Pushpendra Kumar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/108/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 25th June, 2020, which was served to him on 30th June, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 21st July, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Pushpendra Kumar** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Pushpendra Kumar** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Pushpendra Kumar**, resident of Village Malpur, Post-Sultanganj Bhongaon, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 108-Bhongaon Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/108/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

आ. अ. 67.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 108-भोगाँव निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री संदीप कुमार** अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री संदीप कुमार** को दिनांक 7 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./108/भा.नि.आ./नोटिस/टिरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 7 फरवरी, 2018 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री संदीप कुमार** को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **श्री संदीप कुमार** को दिनांक 30 जून, 2020 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 21 जुलाई, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री संदीप कुमार** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री संदीप कुमार** अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री संदीप कुमार, निवासी राधारमन रोड गली नं. 2 कृष्ण कुंज कालौनी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./108/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st July, 2020

O. N. 67.— WHEREAS, the General Election for 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 108-Bhongaon Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, **Sh. Sandeep Kumar**, a contesting candidate from 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge any account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/108/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under Sub Rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sandeep Kumar**, for non submission of any accounts of his Election expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Sandeep Kumar** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to **Sh. Sandeep Kumar** on 30th June, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 21st July, 2020 that **Sh. Sandeep Kumar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, after receipt of the said notice, he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for his failure to lodge the accounts as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sandeep Kumar** has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sandeep Kumar**, resident of Radharaman Road Gali No. 2 Krishna Kunj Colony, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 108-Bhongaon Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/108/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

आ. अ. 68.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 13 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वोटर्स पार्टी इण्टर नेशनल से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री अजय यादव** अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री अजय यादव** को दिनांक 07 फरवरी, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./108/भा.नि.आ./नोटिस/टैरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुए निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल नहीं किया गया है।
- (2) शपथ पत्र विधिवत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये हैं।
- (4) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किए गए हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री अजय यादव** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल

नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री अजय यादव के भाई श्री अनिल को दिनांक 17 मार्च, 2020 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी ने दिनांक 13 मई, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री अजय यादव द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेख का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री अजय यादव को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./108/भा.नि.आ./पत्र/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 25 जून, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, मैनपुरी के माध्यम से उन्हें दिनांक 30 जून, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 21 जुलाई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अजय यादव द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अजय यादव विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री अजय यादव, निवासी ग्राम मनीरामपुर, पोस्ट मधपुरी, तहसील भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 108-भोगाँव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./108/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st July, 2020

O. N. 68.— WHEREAS, the General Election for 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 108-Bhongaon Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 13th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Mainpuri District, Uttar Pradesh, **Sh. Ajay Yadav**, a contesting candidate of Voters Party International from 108-Bhongaon Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/108/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 7th February, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ajay Yadav**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

- (i) Election expenditure register was not filed including day to day accounts register, cash register, bank register, abstract statement.
- (ii) Affidavit has not been duly submitted.
- (iii) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.
- (iv) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Ajay Yadav** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mainpuri within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mainpuri, the said notice was served to Sh. Anil b/o Sh. Ajay Yadav on 17th March, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mainpuri has submitted in his supplementary report, dated 13th May, 2020 that **Sh. Ajay Yadav**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/108/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 25th June, 2020, which was served to him on 30th June, 2020 through the District Election Officer, Mainpuri; and

WHEREAS, as per the report, dated 21st July, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Ajay Yadav** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ajay Yadav** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ajay Yadav**, resident of Village Manirampur, Post-Madhupuri, Tehsil-Bhongaon, Mainpuri, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 108-Bhongaon Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/108/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

आ. अ. 69.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के परामर्श से एतद्वारा, डा. रणबीर सिंह, आई.ए.एस, के स्थान पर डा. जी. नरेंद्र कुमार, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.टी:1989), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. डा. जी. नरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. डा. जी. नरेंद्र कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के प्रधान सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[सं. 154/DL/2020-P.Admn.]

आदेश से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 30th June, 2020

O.N. 69.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Govt. of N.C.T. of Delhi hereby designates Dr. G.Narendra Kumar, IAS (AGMUT: 1989) as the Chief Electoral Officer for the N.C.T. of Delhi with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Dr. Ranbir Singh, IAS.

2. Dr. G. Narendra Kumar shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Govt. of N.C.T. of Delhi, which he may be holding before such assumption of office.

3. Dr. G. Narendra Kumar while functioning as the Chief Electoral Officer, N.C.T. of Delhi shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of N.C.T. of Delhi except that he should be designated Principal Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/DL/2020-P. Admn.]

By Order,

B.C. PATRA, Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2020

आ. अ. 70.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा(1) अंतर्गत जारी आयोग की अधिसूचना सं.154/डीएल/2020-का. प्रशा. दिनांक 30 जून, 2020, जिसमें डा. जी. नरेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (एजीएमयूटी:1989) को डा. रणवीर सिंह, भा.प्र.से. के स्थान पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया था, एतद्वारा वापस ली जाती है। डा. रणवीर सिंह भा.प्र.से. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने रहेंगे।

[सं. 154/डीएल/2020-का. प्रशा.]

आदेश से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

New Delhi, the 22nd July, 2020

O. N. 70.—The Commission's notification No. 154/DL/2020-P.Admn., dated 30th June, 2020 issued under sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) designating Dr. G. Narendra Kumar, IAS (AGMUT:1989) as Chief Electoral Officer, NCT of Delhi in place of Dr. Ranbir Singh, IAS is hereby withdrawn Dr. Ranbir Singh, IAS will continue to be Chief Electoral Officer, NCT of Delhi.

[No. 154/DL/2020-P.Admn.]

By Order,

B.C. PATRA, Secy.